न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 163 / 14

1. देवेन्द्रपाल कौर पुत्री गुरूचरण सिंह पत्नी भगतसिंह, जाति पंजाबी, निवासी ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. संत गुरूमीत सिंह पुत्र गुरूचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा जरिये संरक्षिका (बहिन) देवेन्द्रपाल कौर पुत्री गुरूचरण सिंह पत्नी भगतसिंह, जाति पंजाबी, निवासी ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

—— वादीगण

बनाम

1. अमरजीत सिंह आत्मज गुरूचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी 2–एच–6, महावीर नगर–III, कोटा
2. परमजीत सिंह आत्मज गुरूचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी इंजिन के मिस्त्री, बडी नहर के पास, आरा मशीन के समीप, ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. राजेन्द्र कौर पत्नी अरविन्दर सिंह पुत्री गुरूचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी 151, रंगबिहार, महावीर नगर तृतीय, कोटा
4. बलवीरकौर पत्नी कुलदीप सिंह पुत्री गुरूचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी मत्स्य विकास अधिकारी कार्यालय के सामने, बल्लभबाडी, कोटा
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

—— प्रतिवादीगण

वाद वास्ते हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 46 राजस्थान टी0 एक्ट 1955

उपस्थिति : श्री ब्रम्हानन्द शर्मा, वादी अभिभाषक
श्री मनोज जैन, प्रतिवादी अभिभाषक

दिनांक : 30.05.2019

निर्णय

वादीगण की ओर से एक वाद वास्ते हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 46 राजस्थान टी0 एक्ट 1955 पेश किया गया। जिसमें वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नं0 641 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 642 रकबा 1.97 है0, खसरा नं0 643 रकबा 0.57 है0, खसरा नं0 644 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 645 रकबा 0.04 है0, एवं खसरा नं0 646 रकबा 0.41 है0 कुल किता 6 रकबा कुल 3.07 है0 भूमि वाके ग्राम जाखोडा पटवार हल्का जाखोडा प्रथम, भूअभिलेख निरीक्षक हल्का कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 के माल में स्थित हैं। उक्त भूमि के सेटलमेंट से पूर्व के पुराने नं0 409 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा हैं। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 के पिता गुरूचरणसिंह आत्मज हुक्मसिंह जाति पंजाबी ने जरिये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 15.6.1963 को रामकिशन, रामसुख पिसरान रामनाथ जाति माली

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

निवासी ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान से 2000/– रूपया, अक्षरे दो हजार रूपया में खरीद की थी, इस प्रकार गुरूचरणसिंह ने अपनी स्वअर्जित आय से उक्त सम्पत्ति उक्त प्रकार से खरीद की।

5. वर्तमान में उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 के पिता गुरूचरणसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति पंजाबी के नाम खाते दर्ज हैं। गुरूचरणसिंह का निधन विगत 15 अक्टूबर 1999 को हो चुका हैं। इस वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी पर कब्जा खरीद की तिथि से गुरूचरणसिंह का रहा। गुरूचरण सिंह की मृत्यु के बाद उक्त विवादित आराजी पर कब्जा वर्तमान में वादी क्रम 1 देवेन्द्रपाल कोर का है। वादिनी क्रम 1 को उसके पति भगतसिंह ने अकारण ही छोड रखा हैं, वादिनी क्रम 1 व उसके पति भगतसिंह के नुत्पे से एक लडका 5 वर्ष का व एक लडकी 9 वर्ष की हैं। पति द्वारा छोड दिये जाने के कारण परित्यक्ता के रूप में वादिनी क्रम 1 अपने पिता गुरूचरणसिंह के पास ही विगत चार वर्षों से रह रही हैं। वादी क्रम 2 गुरूचरणसिंह के पुत्र हैं तथा उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त व्यक्ति हैं, वादी क्रम 2 का विवाह नहीं हुआ हैं एवं उच्च आध्यात्मिक अवस्था के व्यक्ति होने के कारण वादी क्रम 2 की देखभाल व सेवा सुश्रुषा संरक्षिका की हैसियत से वादिनी क्रम 1 ही करती हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 की माता का निधन विगत 20 वर्ष पूर्व ही हो चुका हैं, इस प्रकार मृतक गुरूचरणसिंह के अंतिम समय में मृतक गुरूचरणसिंह की सेवा सुश्रुषा का भार वादिनी क्रम 1 पर ही था और वादिनी ने अपने इस दायित्व का बखूबी निर्वहन किया, साथ ही वादिनी क्रम 1 ने अपने पिता गुरूचरणसिंह के समय से ही वादि क्रम 2 संत गुरूमीतसिंह की सेवा सुश्रुषा भी काफी अच्छी तरह की तथा गुरूचरणसिंह के निधन के बाद भी वादिनी क्रम 1 ही वादी क्रम 2 की सेवा सुश्रुषा कर रही हैं। इस प्रकार वादिनी क्रम 1 वादी क्रम 2 की एक संरक्षिका हैं, यह उक्त तथ्यों के आधार पर जग जाहिर हैं। इन्हीं सब बातों से प्रसन्न होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 के पिता गुरूचरणसिंह ने इस वाद पत्र में वर्णित विवादित जमीन की वसीयत दिनांक 6.5.95 को वादिनी क्रम 1 के पक्ष में आलेखित करते हुये गुरूचरणसिंह ने उक्त वसीयत नाम रूबरू गवाहान कार्यालय उप पंजियक कोटा में उपस्थित होकर पंजिबद्ध करवाया। उक्त वसीयतनामा कार्यालय उप पंजियक कोटा में दिनांक 6.5.95 को पुस्तक संख्या तृतीय, जिल्द संख्या 43 क्रम संख्या 42, पृष्ठ संख्या 306 पर पंजिबद्ध किया गया और उसकी प्रतिलिपी अतिरिक्त जिल्द संख्या तृतीय की जिल्द संख्या 27 में पृष्ठ संख्या 9 पर दिनांक 6.5.95 को चिपकाई गई। अपनी वसीयत में गुरूचरणसिंह ने वादिनी क्रम 1 को अपनी उक्त जमीन जिसका कि उल्लेख इस वाद पत्र में किया गया हैं तथा उक्त जमीन पर अवस्थित मकानात व ट्यूबवैल आदि का उत्तराधिकारी अपनी मृत्यु के वाद घोषित किया हैं। साथ ही अपनी वसीयत में गुरूचरणसिंह ने यह भी उल्लेखित किया हैं कि वैसे तो आध्यात्मिक पुरूष होने के कारण वादी क्रम 2 को भौतिक सम्पदा से कोई सरोकार नहीं हैं लेकिन शरीर के भरण पोषण व रोटी पानी तथा निर्वाह वृत्ति की आवश्यकता संतों को भी होती हैं। इसलिये वादिनी क्रम 1 गुरूचरणसिंह की भूमि से प्राप्त आय से वादी क्रम 2 कीसेवा सुश्रुषा व भरण पोषण करेगी। इस प्रकार गुरूचरणसिंह द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 6.5.95 के अनुसार गुरूचरणसिंह की मृत्यु के बाद वादिनी क्रम 1 गुरूचरणसिंह की भूमि, जिसका की उल्लेख इस वाद पत्र में हैं, की एक मात्र उत्तराधिकारिणी हैं, इस कारण वादिनी क्रम 1 को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह गुरूचरणसिंह द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 6.5.95 के आधार पर स्वयं को विवादित भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवा लें और तदनुसार रेवेन्यू रिकार्ड में गुरूचरणसिंह के स्थान पर स्वयं को विवादित भूमि

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

का रिकार्डेड खातेदार कृषक अंकित करवा लें। इसी हेतु वसीयतनामा दिनांक 6.5.95 के आधार पर वादिनी क्रम 1 ने यह हक घोषणा का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं।

विवादित भूमि जिसका कि उल्लेख इस वाद पत्र में हैं और इस वाद पत्र में जहां कहीं भी विवादित भूमि का उल्लेख हैं, उक्त वर्णित भूमि से हैं, पर कब्जा गुरूचरणसिंह की मृत्यु के बाद वादिनी क्रम 1 का हैं तथा उक्त भूमि की आय से वादिनी क्रम 1 वादी क्रम 2 का भरण पोषण भी कर रही हैं, लेकिन विगत तारीख 17 अक्टूबर 1999 को जब वादिनी क्रम 1 विवादित भूमि पर खेत को हंकवाने के लिये गई तो वहां खेत पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 आये और उन्होंने यानि की प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादिनी क्रम 1 को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, उस समय मौके पर प्रतिवादी क्रम 3 व 4 भी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के साथ मौजूद थे। प्रतिवादीगण ने वादिनी क्रम 1 को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी देते हुये यह भी कहा कि यदि मृतक गुरूचरणसिंह के बाहरवें की रस्म पूरी होने के बाद तुमने यानि की वदिनी क्रम 1 ने विवादित भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया तो प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 वादिनी क्रम 1 को जान से मार डालेगें। इस प्रकार उपरोक्त घटना के कारण वादिनी क्रम 1 के लिये आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आराजी पर अपने शांतिपूर्ण कब्जे काश्त को सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय से स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करें, इसी हेतु वादिनी क्रम 1 ने वादी क्रम 2 के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद, हक घोषणा के वाद के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं। वादिनी क्रम 1 चाहती हैं कि विवादित भूमि पर वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी तरह का व्यवधान न तो प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 ही उत्पन्न करे और नहीं इस तरह का व्यवधान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 अपने प्रतिनिधियों से ही उत्पन्न करवावें।

विवादित आराजी मृतक गुरूचरणसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं और मृतक गुरूचरणसिंह को अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति किसी को भी रहन, बेय, वसीयत, गिरवी आदि करने का अधिकार भारतीय उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत प्राप्त था। मृतक गुरूचरणसिंह द्वारा वादिनी क्रम 1 के पक्ष में आलेखित वसीयत दिनांक 6.5.95 मृतक की अंतिम वसीयत हैं। वादिनी क्रम 1 को उसके पति भगतसिंह ने अकारण ही छोड रखा हैं तथा वादिनी क्रम 1 व उसके पति के मध्य पारिवारिक न्यायालय में वैवाहिक विवाद विचाराधीन हैं, इस प्रकार वादिनी एक परित्यक्ता हैं, ऐसी सूरत में इस प्रकरण में वादिनी क्रम 1 के हितों की रक्षा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 46 के तहत होना अत्यन्त आवश्यक हैं। ताकि वादिनी विवादित आराजी पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त कर सकें। साथ ही यहां पर यह भी उल्लेखित करना उचित हैं कि वादी क्रम 2 उच्च आध्यात्मिक क्षमता वाले पुरूष हैं जिन्हें वैसे तो भौतिक सम्पदा से कोई लेना देना नहीं हैं लेकिन यदि वादिनी क्रम 1 को विवादित भूमि से प्रतिवादीगण बेदखल करने में सफल हो गये तो वदिनी क्रम 1 बिना जमीन के वादी क्रम 2 का भरण पोषण व सेवा सुश्रुषा करने में नितांत असक्षम रहेगी। इसलिये वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं। मृतक गुरूचरणसिंह ने कोटा राजस्थान से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र ''देश की धरती'' के 7 मई 1995 के अंक में एक आम सूचना जरिये वकील साया करवाई थी जिसके अनुसार गुरूचरणसिंह ने अपनी विवादित आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को महरूम/वंचित रखने की बात कहीं थी।

इस वाद को प्रस्तुत करने का कारण सर्वप्रथम दिनांक 17.10.99 को उस समय उत्पन्न हुआ जब दिन के 12–1 बजे वादिनी क्रम 1 विवादित भूमि पर खेत पर ट्रेक्टर से हंकवाने के लिये गई तो उस समय वहां पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 प्रतिवादी क्रम 3 व 4 के साथ आये तथा प्रतिवादी क्रम 1 व

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

2 ने वादिनी क्रम 1 को विवादित भूमि से बेदखल करने की बात कहीं तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने यह भी कहा कि यदि वादिनी क्रम 1 ने विवादित भूमि से अपना कब्जा नहीं छोडा तो प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 वादिनी को जान से मार देगें। साथ ही प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने यह भी कहा कि वादी क्रम 2 को प्रतिवादीगण किडनैप/अपहरण कर लेगें तथा प्रतिवादी क्रम 2 को कहीं गायब कर देगें। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्व वादी क्रम 1 लगायत 2 द्वारा यह वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण उक्त प्रकार से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 2 द्वारा वादिनी क्रम 1 को दिनांक 17.10.99 को उक्त प्रकार से धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। विवादित भूमि ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के माला में स्थित हैं जो कि माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व न्याय क्षेत्र में हैं। इसलिये माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। प्रतिवादी क्रम 5 को लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादी क्रम 5 के विरूद्व कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। चूंकि प्रतिवादी क्रम 5 के विरूद्व कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं इसलिये दावा पेश करने से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत राज्य सरकार को नोटिस देना आवश्यक नहीं हैं।

दावा वास्ते हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 5 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि दावा वादीगण क्रम 1 लगायत 2 के पक्ष में एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के विरूद्व स्वीकार कर सादरी डिक्री फरमाया जावें-

1. मृतक गुरूचरणसिंह द्वारा वादिनी क्रम 1 के पक्ष में आलेखित वसीयत दिनांक 6.5.95 के आधार पर वादिनी क्रम 1 को विवादित आराजी, जिसका कि उल्लेख इस वाद पत्र में हैं, का एक मात्र खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तद्नुसार रेवेन्यु रिकार्ड में वादिनी क्रम 1 का नाम बहैसियत खातेदार कृषक अमल दारामद किया जावें।
2. विवादित आराजी, जिसका कि उल्लेख इस वाद पत्र में हैं, पर वादिनी क्रम 1 के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी तरह की मदाखलत एवं मजाहमत न तो प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ही करें और नहीं उक्त कृत्य प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 अपने प्रतिनिधियों से ही करवावें, ताकि वादिनी विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त करते हुये विवादित भूमि से वसीयतनामा दिनांक 6.5.95 के अनुसार स्वयं का जीवन निर्वाह करने के साथ साथ वादी क्रम 2 का जीवन निर्वाह व सेवा सुश्रुषा भी भलीभांति कर सकें।

प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि गुरूचरणसिंह की स्वअर्जित आय से क्रय की हुई नहीं हैं बल्कि गुरूचरणसिंह के पिता हुकम सिंह द्वारा अर्जित आय से क्रय की गई हैं तथा उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति हैं। जिस वसीयत का वर्णन किया गया है वह वसीयत मिथ्या हैं क्योंकि जिस समय वसीयत करना बताया गया हैं उक्त दिनांक को गुरूचरणसिंह बीमार थे तथा उनकी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी तथा वह वसीयत करने में सक्षम नहीं थे। गुरूचरणसिंह का निधन दिनांक 15.10.99 को हुआ हैं तथा वादिनी अपना कब्जा होना बतौर दिनांक 17.10.99 को खेत हकवाने जाने की बात करती हैं जबकि मृतक का तीसरा ही नहीं हुआ था तथा मेहमान घर पर मोजूद थे। उसके द्वारा खेत पर जाने की बात गलत रूप से अंकित की गई हैं। वसीयत वसीयत कर्ता की मृत्यु के उपरान्त ही फोर्स में आती हैं। वसीयत कर्ता के बाद ही जिसके पक्ष में वसीयत की जाती हैं वह मालिक बनता हैं। अतः वादिनी का इससे पूर्व कब्जा होना तथा दिनांक 17.10.99 को खेत पर जाना कतई मनगढन्त लिखा गया हैं। विवादित भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। गुरूचरणसिंह के समस्त वारिसान का संयुक्त कब्जा काश्त हैं।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी गुरूचरणसिंह की स्वअर्जित की सम्पत्ति नहीं हैं बल्कि पैतृक सम्पत्ति हैं तथा गुरूचरणसिंह को तथाकथित वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। वादिनी को उसके पति द्वारा उसके लडाकू झगडालू होने के कारण कुछ समय से छोड रखा हैं। वादिनी वादी नं0 2 की गार्जियन नहीं हैं उनका कानूनन गार्जियन कोर्ट से नियुक्त हुए बिना उनके अधिकारों की रक्षा होना संभव नहीं हैं क्योंकि वादिनी नं0 1 तथाकथित वसीयत बताकर भूमि हडपना चाहती हैं। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ तथा वह वाद लाने की अधिकारी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्रम 1 ने विशेष आपत्तियों में अंकित किया कि विवादित आराजी को मृतक गुरूचरणसिंह के पिता की आय से गुरूचरणसिंह के नाम क्रय की गई थी। उक्त भूमि गुरूचरणसिंह की स्वअर्जित आय से क्रय नहीं की गई थी। उक्त गुरूचरणसिंह की तमाम सम्पत्ति पैतृक हैं जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का समान हक व हिस्सा हैं। मृतक गुरूचरण जी द्वारा जो वसीयत करना वादी द्वारा बताया गया हैं। वह वसीयत तथाकथित अवैद्य हैं। क्योंकि जिस समय वसीयत का वर्णन किया जाना बताया गया हैं उस समय गुरूचरणसिंह जी बीमार थे तथा उनकी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी ना ही वह बराबर हस्ताक्षर कर सकते थे ना ही वसीयत पर उनके हस्ताक्षर हैं तथाकथित वसीयत से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। विवादित आराजी व मकानात आदि में जो गुरूचरणसिंह द्वारा छोडी गई हैं। समस्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण का समान हक व हिस्सा हैं। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सम्मिलित रूप से काबिज हैं। वादीगण द्वारा महज प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से दावा पेश किया गया हैं अतः प्रतिवादीगण को वादीगण से विशेष हर्जाना 5000 रूपये दिलवाया जावे। विवादित भूमि के संबंध में इन्तकाल के संबंध में पक्षकारान के सक्षम न्यायालय में अपीले जैरकार हैं। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजियात 6 किता कुल रकबा 3.07 है0 वाके माल ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पक्षकारान के पिता स्व0 गुरूचरण सिंह के खाते में होना स्वीकार हैं। भूमि पक्षकारान के पिता श्री गुरूचरणसिंह के खाते में थी, जिनका निधन दिनांक 15.10.99 को हो चुका हैं तथा मृत्यु पूर्व तक समस्त भूमि पर कब्जा स्व0 श्री गुरूचरणसिंह का था। जो आरोप दिनांक 17.10.99 को वादिनी को बेदखल करने के प्रतिवादिगणों पर लगाये हैं वह अस्वीकार हैं। विवादित आराजी जो स्व0 गुरूचरणसिंह की थी पर उनके स्वर्गवास के बाद से पक्षकारान बहैसियत सह खातेदार प्रत्येक इंच भूमि पर कानूनन काबिज काश्त हैं। जिनके खिलाफ बिना बंटवारा हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं हैं। एक अन्य वाद अमरजीतसिंह बनाम देवेन्द्रपाल कौर इन्हीं पक्षकारों के मध्य केस नं0 1029/01 श्रीमान के न्यायालय में बंटवारे का अन्तर्गत धारा 53 राज0टी0ए0 जैरकार हैं। तथाकथित दिनांक 9.5.95 की वसीयत फर्जी एवं स्व0 गुरूचरणसिंह को धोखे में रखकर तैयार करायी गई कूटरचित दस्तावेज हैं, स्व0 गुरूचरणसिंह ने अपनी जिन्दगी में कभी भी उक्त प्रकार की वसीयत का जिक्र अपनी अन्य सन्तानों के मध्य कभी भी नहीं किया। वादिनी वर्तमान में अपने पति के साथ निवास कर रही हैं, जिसे धारा 56 राजस्थान टी0ए0 का कोई प्रोटक्शन नहीं मिल सकता तथा वादी नं0 12 स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति हैं, जिनका कानूनन संरक्षक वादिनी नहीं हो सकती।

साथ ही विशेष आपत्तियों में निवेदन किया गया कि स्व0 श्री गुरूचरणसिंह जी स्वयं खुदकाश्त अपनी समस्त विवादित आराजी को करते थे, तथा अपनी जिन्दगी में पक्षकारान हमेशा उनके पास आते जाते रहते थे। कभी भी पक्षकारान के मध्य कोई मनमुटाव या द्वेष नहीं था। विवादित

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

आराजियात 6 किता कुल रकबा 3.07 है0 वाके माल ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्व0 गुरूचरणसिंह के खातेदारी की थी जो पक्षकारान के पिता थे, जिनका स्वर्गवास दिनांक 15.10.99 को हो जाने से इनके वैध उत्तराधिकारी पक्षकारान आपस में सह खातेदारान हैं जिनका 1/6, 1/6 हिस्सा हैं। प्रतिवादी नं0 1 ने उक्त आराजी के विभाजन का दावा माननीय न्यायालय में पेश कर रखा हैं। प्रार्थीया ने जो तथाकथित वसीयत के बारे में लिखाया हैं, वह फर्जी हैं, मृतक गुरूचरणसिंह को धोखे में रखकर उनकी स्वतन्त्र कन्सेन्ट के विपरीत लिखायी गई होगी, इस तरह की वसीयत का जिक्र कभी भी पक्षकारान के पिता गुरूचरणसिंह ने अपनी जीवित अवस्था में नहीं किया। पक्षकारान गुरूचरणसिंह की मृत्यु के बाद आपस मे सहखातेदार हैं जिनका अविभाजित आराजी के प्रत्येक इंच पर संयुक्त कब्जा होने से वादीगणों को प्रतिवादिगणों के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

प्रकरण में पेश किये गये दावा, जवाब दावा तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

1. आया विवादित आराजी के पूर्व खातेदार द्वारा कृत वसीयत के आधार पर वादिनी वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी की एकमात्र खातेदार कृषक घोषित होने व तदनुसार रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारिणी है। (वादिनी)
2. आया वादिनी विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण (1 लगायत 5) के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। (वादिनी)
3. आया विवादित आराजी पूर्व खातेदार गुरूचरण सिंह द्वारा स्वअर्जित नहीं वरन् अपने पिता की सम्पत्ति से क्रय करने के कारण विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। (प्रतिवादी)
4. आया विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व खातेदार द्वारा कृत वसीयत अवैध है। (प्रतिवादी)
5. आया विवादित आराजी में वादी प्रतिवादीगण का समान हिस्सा व हक है। (प्रतिवादी)
6. अनुतोष

उभयपक्ष के पक्षकारान की साक्ष्य आदि लिये जाने के उपरान्त पत्रावली के बहस में आने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये गुरूचरण सिंह द्वारा वादिनी के पक्ष में की गई वसीयत के अनुसरण में वादिनी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाकर विवादित आराजी को वादिनी की खातेदारी में दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि विवादित आराजी का क्रय वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादाजी हुकमसिंह द्वारा अर्जित आय से किया गया है।, जिसके कारण विवादित आराजी गुरूचरण सिंह की पैतृक सम्पत्ति है तथा उन्हें अपनी पैतृक सम्पत्ति की, किसी एक के नाम से वसीयत किये जाने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजी के 1/6 – 1/6 हिस्से पर प्रत्येक पक्षकारान का कब्जा काश्त है। इसके सम्बन्ध में प्रतिवादी क्रम 1 अमरजीत सिंह द्वारा पेश धारा 53 आर.टी.ए. का वाद संख्या 152/2000 विचाराधीन था जिसे भी इसी वाद के साथ कन्सोलिडेट किये जाने से वादी वादीगण खारिज किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के समान हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, जिसके अनुसार प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय किये जाते है :–

आया विवादित आराजी के पूर्व खातेदार द्वारा कृत वसीयत के आधार पर वादिनी वादपत्र की मद सं. 1 में वर्णित आराजी की एकमात्र खातेदार कृषक घोषित होने व तदनुसार रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारिणी है।–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। प्रकरण में पेश किये गये दावा, जवाब दावों तथा उभयपक्ष के गवाहान की जिरह के कथनों से स्पष्ट है कि भारत–पाकिस्तान के विभाजन उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज भारत आये थे। उस दौरान उन्हें मुआवजा दिया गया। पक्षकारान के पारिवाक मुखिया उनके दादाजी हुकम सिंह थे। ज्ञातव्य है कि सरकार की ओर से दिया जाने वाला मुआवजा परिवार के मुखिया को ही दिया जाता है तो यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान से भारत आने पर दिया जाने वाला मुआवजा हुकम सिंह यानि पक्षकारान के दादाजी को दिया गया। उसी मुआवजे के आधार पर हुकमसिंह द्वारा अपने परिवार को व्यवस्थित किये जाने हेतु हुकम सिंह द्वारा अपनी अन्य सन्तानों के साथ ही पक्षकारान के पिता गुरूचरण सिंह के नाम से भी विवादित आराजी का क्रय किया गया था। इस प्रकार विवादित आराजी का क्रय गुरूचरण सिंह की स्वयं की स्वअर्जित आय न होकर हुकम सिंह की आय से दिनांक 01.06.1963 को किया गया था। उक्त क्रय के कारण ही नामान्तरकरण पंजिका दिनांक 23.09.1963 के अनुसार राजस्व अभिलेख में गुरूचरण सिंह का नाम अंकित किया गया। प्रदर्श पी–1 जमाबन्दी संवत 2054–2057 के अनुसार ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के विवादित खसरा नम्बर 641, 642, 643, 644, 645, 646 कुल किता 6 रकबा 3.07 हैक्टर की विवादित आराजी गुरूचरण सिंह पुत्र हुकम सिंह, जाति पंजाबी के खाते दर्ज रिकार्ड है। वर्ष 1963 के राजस्व अभिलेख में गुरूचरण सिंह का नाम दर्ज होने के उपरान्त भी पक्षकारान के दादाजी हुकम सिंह जी रोजगाररत थे जिसके लिये उनको दिनांक 01.06.1985 को जवाहर मार्केट योजनान्तर्गत नगर विकास न्यास द्वारा पट्टा जारी किया गया था। उक्त पट्टे से प्राप्त भूखण्ड संख्या 37 को हुकमसिंह द्वारा दिनांक 10.06.1985 को बेचान किया गया। इस बेचान में हुकमसिंह द्वारा स्वयं को जाखोडा का निवासी अंकित किया है अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वर्ष 1985 तक हुकमसिंह का समस्त परिवार संयुक्त परिवार के रूप में जाखोडा में निवास करते थे। अतः गुरूचरण सिंह द्वारा विवादित आराजी का क्रय अपनी स्वअर्जित आय से न किया जाकर संयुक्त पारिवार (हुकमसिंह) की आय से किया गया था जिससे उक्त विवादित आराजी पारिवारिक पैतृक सम्पत्ति थी तथा गुरूचरण सिंह को पैतृक सम्पत्ति से क्रय की गई विवादित आराजी, की वसीयत करने का अधिकार प्राप्त नहीं था तथा गुरूचरण सिंह की मृत्योपरान्त उनकी समस्त सन्ताने अपने अपने समान हिस्से की अधिकारिणी थी। गुरूचरण सिंह द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 06.05. 1995 के द्वारा वादी क्रम 2 संत गुरमीत सिंह के जीवन यापन की व्यवस्था की गयी है। इसमें वसीयतकर्ता का उद्देश्य वादी क्रम 2 के जीवन यापन की व्यवस्था करना रहा है। उक्त का खण्डन करने में वादिया पूर्णतया विफल रही है। इस सम्पूर्ण प्रकरण में वादिनी, विवादित आराजी का क्रय उनके पिता गुरूचरण सिंह की स्वअर्जित आय से किया जाना सिद्ध करने में असफल रही है। इस प्रकार विवादित आराजी के पूर्व खातेदार द्वारा कृत वसीयत के आधार पर वादिनी वादपत्र की मद में वर्णित आराजी की एकमात्र खातेदार कृषक घोषित होने व तदनुसार रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारिणी नहीं है। अतः यह तनकी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

आया वादिनी विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण (1 लगायत 5) के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत अभिलिखित काश्तकार खातेदार ही स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी, विवादित आराजी की रिकोर्डेड खातेदार नहीं है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार घोषित होने का अनुतोष चाहा गया है। वादिनी, आदिनांक तक,

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी की खातेदार नहीं है। इस प्रकार वादिनी, विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण (1 लगायत 5) के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः यह तनकी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

आया विवादित आराजी पूर्व खातेदार गुरूचरण सिंह द्वारा स्वअर्जित नहीं वरन् अपने पिता की सम्पत्ति से क्रय करने के कारण विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है।–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जिरह एवं जवाब दावा में स्वीकार किया है कि उनके दादाजी हुकमसिंह वर्ष 1985 तक कार्यरत थे। वर्ष 1985 में व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित हुआ जिसका बेचान भी हुकमसिंह द्वारा किया गया। इस प्रकार हुकमसिंह के कार्य करने एवं आय अर्जित करने में सक्षम होने के कारण गुरूचरण सिंह की स्वयं की कोई स्वअर्जित आय नहीं थी। विवादित आराजी के 1/6 हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 2 का कब्जा है, जिसका वादिनी द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। विवादित आराजी पर गुरूचरण के अन्य वारिसान का कब्जा नहीं होने के कारण वादिनी यह सिद्ध करने में असफल रही है कि उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि स्वअर्जित सम्पत्ति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी, पूर्व खातेदार गुरूचरण सिंह द्वारा स्वअर्जित नहीं वरन् अपने पिता की सम्पत्ति से क्रय करने के कारण विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

आया विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व खातेदार द्वारा कृत वसीयत अवैध है।–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। किसी भी दस्तावेज की वैधता का निर्धारण उसके गवाहों के बयान व दस्तावेजी/तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा तथा बयानों में वसीयत को अवैध अथवा फर्जी तो कहा है परन्तु उस वसीयत को सम्बन्धित सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं कराया गया है, जिसके कारण विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व खातेदार द्वारा कृत वसीयत अवैध कहना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

आया विवादित आराजी में वादी–प्रतिवादीगण का समान हिस्सा व हक है।–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी क्रम–1 में उल्लेख किया जा चुका है कि पक्षकारान के पिता गुरूचरण सिंह की कोई आय नहीं थी। पक्षकारान के दादाजी हुकम सिंह ही परिवार के बुजुर्ग व मुखिया थे तथा वर्ष 1985 में भी उन्हें भूखण्ड संख्या 37 आवंटित किया गया था जिसका बेचान करके हुकमसिंह द्वारा आय अर्जित की गई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस आय से विवादित आराजी का क्रय किया गया था वह स्वअर्जित नहीं थी बल्कि पैतृक थी। पैतृक आय से क्रय की गई सम्पत्ति पर समस्त वारिसान का हक व अधिकार होता है तथा प्रतिवादी क्रम 2 का विवादित आराजी के 1/6 हिस्से पर कब्जा काश्त सिद्ध है, जिसका खण्डन, वादिया, करने में विफल रही है। चूँकि गुरूचरण सिंह वादीगण क्रम 1 लगायत 2 तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता थे इसलिये गुरूचरणसिंह द्वारा पैतृक आय से क्रय की गई विवादित आराजी में वादी–प्रतिवादीगण का समान हिस्सा व हक है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

अनुतोष ?

प्रकरण में वादीगण द्वारा गुरूचरण सिंह द्वारा वादिनी के पक्ष में की गई वसीयत के के आधार पर वादिनी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाकर विवादित आराजी को वादिनी की खातेदारी में दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 द्वारा विवादित आराजी का क्रय वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादाजी हुकमसिंह द्वारा अर्जित आय से किये जाने के कारण विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति मानकर 1/6 – 1/6 हिस्से का वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदार घोषित किया जाकर समान हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार तनकीयात के विवेचन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादिया द्वारा गुरमीत सिंह की संरक्षिका के रूप में भी वाद पेश किया गया है जबकि वयस्क व्यक्ति की संरक्षिका के रूप में वाद सक्षम न्यायालय द्वारा संरक्षक की हैसियत प्राप्त करके ही पेश किया जा सकता है। अतः दावा defective / दोषपूर्ण है। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार गुरूचरण सिंह कृत वसीयत के आधार पर वादिनी वादपत्र की मद में वर्णित आराजी की एकमात्र खातेदार कृषक घोषित होने व तदनुसार रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारिणी नहीं है और ना ही वादिनी विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। विवादित आराजी पूर्व खातेदार गुरूचरण सिंह द्वारा स्वअर्जित आय से नहीं वरन् अपने पिता की सम्पत्ति से क्रय करने के कारण विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिस पर वादी प्रतिवादीगण का समान हिस्सा व हक है। अतः विवादित आराजी का क्रय स्वअर्जित आय से होना तथा गुरूचरण सिंह के अन्य वारिसान का कब्जा ना होना, सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादिनी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सरोज ढाका) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, R.A.S.

वादीगण :–

1.	देवेन्द्रपाल कौर पुत्री गुरूचरण सिंह पत्नी भगतसिंह, जाति पंजाबी, निवासी ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा,
2.	संत गुरुमीत सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा जरिये संरक्षिका (बहिन) देवेन्द्रपाल कौर पुत्री गुरूचरण सिंह पत्नी भगतसिंह, जाति पंजाबी, निवासी ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा ––– वादीगण
	बनाम
1.	अमरजीत सिंह आत्मज गुरूचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी 2–एच–6, महावीर नगर–III, कोटा
2.	परमजीत सिंह आत्मज गुरूचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी इंजिन के मिस्त्री, बडी नहर के पास, आरा मशीन के समीप, ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3.	राजेन्द्र कौर पत्नी अरविन्दर सिंह पुत्री गुरूचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी 151, रंगबिहार, महावीर नगर तृतीय, कोटा
4.	बलवीरकौर पत्नी कुलदीप सिंह पुत्री गुरूचरण सिंह, जाति पंजाबी, निवासी मत्स्य विकास अधिकारी कार्यालय के सामने, बल्लभबाडी, कोटा
5.	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा ––– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 188, 46 RTA
मुकदमा नम्बर : 163/14
निर्णय दिनांक : 30-05-2019

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री ब्रम्हानन्द शर्मा एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री मनोज जैन की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 30–05–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सरोज ढाका, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादिया द्वारा गुरमीत सिंह की संरक्षिका के रूप में भी वाद पेश किया गया है जबकि वयस्क व्यक्ति की संरक्षिका के रूप में वाद सक्षम न्यायालय द्वारा संरक्षक की हैसियत प्राप्त करके ही पेश किया जा सकता है। अतः दावा defective/दोषपूर्ण है। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार गुरूचरण सिंह कृत वसीयत के आधार पर वादिनी वादपत्र की मद में वर्णित आराजी की एकमात्र खातेदार कृषक घोषित होने व तदनुसार रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारिणी नहीं है और ना ही वादिनी विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। विवादित आराजी पूर्व खातेदार गुरूचरण सिंह द्वारा स्वअर्जित आय से नहीं वरन् अपने पिता की सम्पत्ति से क्रय करने के कारण विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिस पर वादी प्रतिवादीगण का समान हिस्सा व हक है। अतः विवादित आराजी का क्रय स्वअर्जित आय से होना तथा गुरूचरण सिंह के अन्य वारिसान का कब्जा ना होना, सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादिनी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 30.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सरोज ढाका) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया		प्रतिवादी	रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियो के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner